

न्यायालय माननाथ राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर (म०प्र०)

प्रकरण क्रमांक- 12015 पुनरीक्षण याचिका

(42) 49


निगरानी 2136-PBK-15

अनिल अग्रवाल पुत्र श्री लक्ष्मण किशोर अग्रवाल, आयु- 52 वर्ष, व्यवसाय- कास्तकारी, निवासी- न्यायमतपुरा, बरहानपुर (म०प्र०) ----पुनरीक्षणकर्ता/अनावेदक

श्री शंकर सिंह गोपाल, कास्तकारी

आज दि. 10-7-15

प्रस्तुत


दि. 10-7-15

राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश

बनाम

1. सुरेश पुत्र माधवराव पाटिल, ग्राम उमरदा तहसील व जिला बुरहानपुर (म०प्र०)
2. श्रीमती अल्का पत्नी श्री माधवराव पाटिल, निवासी- शिवकॉलोनी, बुरहानपुर (म०प्र०)

----प्रतिप्रार्थीगण/आवेदकगण

3. श्री गुलाब पुत्र घनश्याम मल्लाह
4. धन्नू पुत्र घनश्याम मल्लाह
5. मंगल पुत्र घनश्याम मल्लाह, निवासीगण- जैनाबाद, तहसील व जिला बुरहानपुर

----प्रतिप्रार्थीगण

पुनरीक्षण याचिका अंतर्गत धारा 50 म०प्र० भू-राजस्व संहिता 1959 विरुद्ध आदेश दिनांक 06-06-2015 द्वारा न्यायालय तहसीलदार बुरहानपुर जिला बुरहानपुर के राजस्व प्रकरण क्रमांक- 4(ए)/13/2011-12 के आदेश द्वारा पुनरीक्षणकर्ता का अंतरिम आवेदन माननीय तहसीलदार महोदय द्वारा अस्वीकार किया गया।

माननीय महोदय,

पुनरीक्षणकर्ता की ओर से पुनरीक्षण याचिका निम्न प्रकार प्रस्तुत



है:- 

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 2136/पीबीआर/2015

जिला बुरहानपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
14.02.2019	<p>प्रकरण का अवलोकन किया गया। आवेदक द्वारा यह निगरानी तहसीलदार द्वारा पारित आदेश दिनांक 06.06.2015 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 से लागू हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत प्रकरण की सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभय पक्ष सूचित हों।</p> <p> ASR</p> <p> (मनोज गोयल) अध्यक्ष</p>	